<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा</u>

एफ0आर0 वाद सं0–107 / 18
सोना देवी बनाम राजवती

<u>17.09.2018</u>

एफ आर वाद पुकारा गया। वादी मुकदमा मय अधिवक्ता उपस्थित।, मु0अ0सं0–509 / 2017 अन्तर्गत धारा–323,504,506,354,392 भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 03 / 18 पर वादी मुकदमा का कथन है कि विवेचक द्वारा मुल्जिमान से हमसाज होकर, तथा अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुॅचाने की गरज से गलत तरीके से प्रस्तुत मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना, बयान वादिया, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल से घटना का होना नहीं पाया गया। वादिया ने राशन की दुकान के विवाद तथा अपने एवं अपने पति के खिलाफ प्रतिपक्षी सुदेश द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0–482 / 17 धारा–420,406,506 भा0दं0सं0 में दबाब बनाने के लिये सुदेश कुमार के विरूद्ध झूठे व निराधार आरोप लगाकर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कराया है। जबकि वादनी द्वारा कथन किया गया है कि विवेचक ने मुल्जिमान से हमसाज होकर अंतिम आख्या प्रस्तुत की है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

, प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिनांकित 11.07.2018 स्वीकार किया जाता है विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या 03 / 18 निरस्त की जाती है। मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा– 200दं0प्र0सं0 दिनांक 15.10.2018 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा